

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-563 /11-सी-FP/UP/Road/23693/2017, लखनऊ, दिनांक: अगस्त-28, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जिला मुख्यालय को चार लेन से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-जालौन में विलराया-पनवाड़ी राज्यमार्ग सं0-21 के किमी0 चैनेज 318.00 से 352.00 तक (जालौन से औरैया तक) चार लेन निर्माण में प्रभावित 42.60301 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2686 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-8बी/यू0पी0/09/42/2017/एफ0सी0/59, दिनांक-28.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयोंकित प्रकरण में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी ने अपने पत्रांक-939/33-1, दिनांक-23.08.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख की एक मूल प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Road/23693/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव (वन), वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी।
3. उप वन संरक्षक सा0वा0 वन प्रभाग, उरई (जालौन)।
4. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 लो0नि0वि0, उरई।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।